BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध शऱाब का निर्माण करने वाले 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 53,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पप्पन पुत्र मुख्तार निवासी शेखपुर गढवा थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा द्वारा वर्ष-2014 में अवैध शराब का निर्माण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.03.2014 को थाना खानपुर पर मुअसं- 50/14 धारा- 272,273 भादवि व 60/62 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.03.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.09.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-06, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पन को आजीवन कारावास व 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार कोशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर